

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/कक्षा-कक्ष उ.प्रा.वि./2017-18/

दिनांक 30.8.19

33706-16

राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,
ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 ।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवाटापरा में एक सांस्कृतिक हॉल निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 23733-61 दि. 10.08.2017 द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवाटापरा में एक सांस्कृतिक हॉल निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 15.00 लाख की जारी की गई थी। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति राशि रु. 15.00 लाख प्राप्त होने से 15.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है।

(राशि लाखों में)


क्र.सं.	नाम विद्यालय	पं.स.	तकनीकी स्वीकृति	
			क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवाटापरा में एक सांस्कृतिक हॉल निर्माण।	साबला	AENRCEE(HQ)/ 136 /2017-18/ 08.02.18	15.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं-21/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि रु. 1380.28 लाख में से कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को उपलब्ध कराई गई राशि रु.1193.02 लाख में से होगा।

शर्त-

- यदि कोई कार्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यों का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।
- विभागीय अभियंताओं एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओं के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण करवाया जावेगा।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्णता के पश्चात् फोटोग्राफ प्रेषित किये जावे।
- कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।

भवदीय


(अंजली राजोरिया) I.A.S
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
कृ.पृ.उ.

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/कक्षा-कक्ष स्कूल/2017-18/33706-16 दिनांक : 30/8/19
प्रतिलिपी :-

1. संयुक्त शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. जिला कलक्टर डूंगरपुर।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर
4. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डूंगरपुर।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
9. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवाटापरा ग्रा.प. दोलपुरा पं.स. साबला जिला डूंगरपुर।
10. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त अर्थुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)